न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी – श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

फौजदारी मुकदमा संख्या 11/2017

सायल	बनाम	गैर सायल
जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर		कालुराम पुत्र प्रभूराम जाति वाल्मिकी निवासी हरिजन बस्ती बालोतरा पुलिस थाना बालोतरा जिला बाड़मेर

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2 /3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित– 1. श्री दौलतराम सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाड़मेर सायल ओर से।
2. श्री राम स्वरूप शर्मा अधिवक्ता गैर सायल की ओर से।

निर्णय दिनांक 07.5.2018

1. सायल की ओर से दिनांक 01.9.2017 को गैर सायल कालुराम पुत्र प्रभूराम जाति वाल्मिकी निवासी हरिजन बस्ती बालोतरा पुलिस थाना बालोतरा जिला बाड़मेर के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2 ख (v) व (viii)/3 के अन्तर्गत परिवाद प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैर सायल आर्ले दर्जे का बदमाश एवं जुआरी है। इसकी आपराधिक गतिविधियॉ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। गैर सायल सार्वजनिक स्थानो पर ताश के पतो पर रूपये दाव पर लगाकर जुआ खेलता है जिससे एक को लाभ व अन्य को हानि होने से प्रायः मारपीट व झगड़े होते रहते है, जिसके कारण सामान्य जन जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है तथा सभ्य लोगो एवं महिलाओं का आना जाना दूभर कर रखा है। इसको न्यायालय द्वारा सजायाब करने के उपरान्त भी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। यदि इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो बड़ी गम्भीर वारदात कर सकता है, जिससे समाज एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। गैर सायल के विरूद्व कुल 03 प्रकरण राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग अधिनियम 1949 में दर्ज होकर, चालान न्यायालय में पेश किये गये जिसमें न्यायालय द्वारा दोनो प्रकरणो में दोषी पाया गया एवं सजा हुई है–

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट सत्यमेव जयते बाड़मेर (राज.)

अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.)बाड़मेर

1. मुकदमा संख्या 450/03.9.2012 अन्तर्गत धारा 13 राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग . अधिनियम चालान नंबर 198/12.9.2012 निर्णय दिनांक 15.12.2012 अर्थदण्ड।
2. मुकदमा संख्या 603/18.12.2013 अन्तर्गत 13 राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग अधिनियम चालान नंबर 337/21.12.2013 निर्णय दिनांक 13.1.2014 अर्थदण्ड।

उक्त अपराधिक प्रकरणों के आधार पर गैर सायल को गुण्डा घोषित करते हुए जिले से निष्कासित किये जाने का निवेदन किया गया।

2. प्रकरण पंजीबद्व होकर, गैर सायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत नोटिस जारी किया गया।
3. गैर सायल के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 10.1.2018 को नोटिस का जवाब पेश कर जाहिर किया कि गैर सायल के विरूद्व पुलिस द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम में इस्तगासा तैयार कर पेश किया गया है। गैर सायल गुण्डा प्रवृति का व्यक्ति नहीं है एव न ही किसी गिरोह का सदस्य या मुखिया है। गैर सायल के विरूद्व धारा 13 राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग अधिनियम अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरण में उसे परीवींक्षा अधिनियम का फायदा दिया गया है। गैर सायल ने डकैती, हत्या, बलात्कार जैसे संगीन अपराध नहीं किये है। गैर सायल के विरूद्व प्रकरण वर्ष 2012–13 में दर्ज हुए है, इसके बाद कोई प्रकरण किसी भी थाने में दर्ज नहीं हुआ है, जिससे यह साबित होता हैं कि गैर सायल के विरूद्व ग्रामवासियो की कोई शिकायत नहीं है। गैर सायल नगर पालिका बालोतरा में सफाई कर्मचारी है, पूरा परिवार गैर सायल पर आश्रित है। गैर सायल को जिलें से निष्कासित किये जाने से परिवार के अन्य सदस्यों के भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो सकती है। पुलिस विभाग द्वारा केवल अपना कोठा पूरा करने के लिए गैर सायल के विरूद्व कार्यवाही की जा रही है। इसलिये गैर सायल के विरूद्व की जा रही कार्यवाही निरस्त की जाऐं।
3. गैर सायल द्वारा नोटिस को अस्वीकार करने पर हमने दोनो पक्षों को अपनी–अपनी शहादत पेश करने के आदेश दिये। सायल की ओर से परिवाद के समर्थन में श्री भंवरलाल सिरवी थानाधिकारी पुलिस थाना बालोतरा के बयान करवाऐ गए व सम्बन्धित दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया गया।
4. विद्वान सहायक लोक अभियोजक प्रथम का यह तर्क हैं कि गैर सायल आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाया गया है, इसके विरूद्व राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग अधिनियम के

अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.)बाड़मेर

तहत दर्ज 03 प्रकरण में से 02 प्रकरणो में न्यायालय द्वारा दोषी करार दिया जाकर जुर्माने से दण्डित किया गया है। सायल पक्ष के साक्ष्य श्री भंवरलाल सिरवी थानाधिकारी बालोतरा ने अपने अभिकथनो में गैर सायल के विरूद्व राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग अधिनियम 1949 के तहत दर्ज 3 प्रकरणों में से 2 प्रकरणो में जुर्माना से दण्डित होना बताया तथा गैर सायल के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (v) में वर्णित स्थितियॉ विद्यमान होने से गैर सायल को जिले से बाहर निष्कासन किये जाने का प्रर्याप्त आधार होना जाहिर किया।

5. सहायक लोक अभियोजक प्रथम के तर्को का खण्डन करते हुए गैर सायल के विद्वान वकील ने तर्क किया कि पुलिस इस्तगासा में गैर सायल के विरूद्व 3 मुकदमें बताये गये है, जो राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग अधिनियम के तहत वर्ष 2013 से पूर्व के है, जिसमें भी गैर सायल द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करते हुए 02 प्रकरण फैसल करवाये गये है। गैर सायल के विरूद्व वर्ष 2013 के बाद कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। गैर सायल हरिजन जाति का गरीब व्यक्ति है जो नगर पालिका बालोतरा में बतौर सफाई कर्मी कार्यरत है। यदि गैर सायल के विरूद्व गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही अमल में लाई गई, तो गैर सायल की नौकरी पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, जिसका खामियाजा इसके परिवार को भुगतना पड़ सकता हैं। इसलिए गैर सायल के विरूद्व गुण्डा एक्ट के तहत की जा रही कार्यवाही निरस्त की जाए।

6. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध आपराधिक अभिलेख का भी भलीभांति अध्ययन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता हैं कि गैर सायल कालुराम के विरूद्व वर्ष 2013 के बाद कोई प्रकरण दर्ज नहीं है। थानाधिकारी पुलिस थाना बालोतरा ने भी अपने बयानो में बताया कि गैर सायल के विरूद्व उक्त दर्ज प्रकरणो के अलावा कोई प्रकरण लम्बित नहीं है। राजस्थान जुआ अधिनियम के अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता की किसी भी धारा में अपराध कारित नहीं होना बताया है। गैर सायल के विरूद्व पुलिस थाना बालोतरा में 03 प्रकरण धारा 13 आरपीजीओ एक्ट के दर्ज हुए, जिसमें से 2 में उसे परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाकर अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है। राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (V) राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग अधिनियम 1949 (1949 का राजस्थान अधिनियम संख्या 48) के अधीन कम से कम दो बार सिद्वदोष

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.) सत्यमेव जयते

अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.)बाड़मेर

ठहराया जाने पर एवं इस धारा में दिये गये स्पष्टीकरण अनुसार अपराध या कार्य करने का दोषी पाया गया हो तो उक्त अधिनियम के तहत उसके विरूद्व कार्यवाही करने का प्रावधान है। सायल द्वारा गैर सायल के विरूद्व दर्ज प्रकरणों की सूची में पारित निर्णय ईएक्सपी.9 एवं ईएक्सपी 10 अनुसार गैर सायल को 2 मुकदमों में सजा होना बताया है, ये सभी मुकदमें राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग अधिनियम की धारा 13 के है। गैर सायल द्वारा उक्त प्रकरण वर्ष 2013 से पूर्व कारित किये गये है इसके पश्चात एवं वर्तमान समय में गैर सायल के विरूद्व किसी प्रकार का कोई प्रकरण दर्ज होना नहीं पाया जाता है। थानाधिकारी पुलिस थाना बालोतरा द्वारा अपने बयानो में गैर सायल के विरूद्व राजस्थान गेम्बलिंग अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणो के अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता की किसी भी धारा में अपराधन कारित नहीं होना बताया। तथा गैर सायल के विरूद्व ऐसी कोई धारा मे प्रकरण दर्ज नहीं होना बताया जिससे यह माना जावे कि गैर सायल के कारण किसी भी आमजन एवं समाज में भय व्याप्त हो। जिन दो प्रकरणो में गैर सायल को अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, उनकी अवधि एक साल से अधिक है। गैर सायल के विरूद्व वर्ष 2013 के बाद काई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। जिससे यह प्रकट होता हैं कि गैर सायल की जुआ खेलने की प्रवृति अब नहीं रही है। ऐसे में मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए एवं गैर सायल के वर्ष 2013 के पश्चात् से वर्तमान समय के आचरण एवं चाल चलन को देखते हुए उसे दोषयुक्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप सायल द्वारा पेश इस्तगासा दिनांक 1.9.2017 खारिज किया जाता है।

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट सत्यमेव जयते बाड़मेर (राज.)

(ओ.पी.बिश्नोई)
अपर जिला मजिस्ट्रेट,
बाड़मेर

अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.)बाड़मेर

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 7.5.2018 को सुनाया गया।

अपर जिला मजिस्ट्रेट,
बाड़मेर

अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.)बाड़मेर